

मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

कमांक 146 / 2453 / 11 / 1 / 55


भोपाल, दिनांक- 17/10/2012

1. संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
मध्य प्रदेश, भोपाल।
2. अधिष्ठाता,
चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल / ग्वालियर / इन्दौर / सागर /
जबलपुर / रीवा, मध्य प्रदेश।
3. संचालक,
ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर
4. संचालक,
क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, भोपाल।
5. प्राचार्य,
दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
6. रजिस्ट्रार,
म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद, भोपाल।
7. रजिस्ट्रार,
नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौशल, भोपाल।

विषय :- विदेश यात्रा की अनुमति दिये जाने के संबंध में।
संदर्भ :- विभाग का पत्र कमांक 2539 / 1802 / 12 / 1 / 55, दिनांक
15.10.2012

उपरोक्त विषय के संबंध में संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें।
अनुशानुसार निर्देशित किया जाता है कि विदेश यात्रा की अनुमति दिये के संबंध में
संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में " भविष्य के लिये सभी शासकीय एवं
स्वशासी चिकित्सा शिक्षकों एवं अन्य चिकित्सकों के लिये वर्ष में एक बार
अन्तर्राष्ट्रीय एकेडमिक आनर्स/सेमीनार " में भाग लेने की अनुमति हेतु विचार किया
जावेगा। उक्त निर्देश का पालन कर भविष्य में प्रस्ताव शास. को भेजे जावे।
कृपया सभी शासकीय एवं स्वशासी चिकित्सा शिक्षकों एवं अन्य
चिकित्सकों को अवगत किया जाए।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस.एस.कुमारे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग